मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2017 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. बधाई

अध्यक्ष महोदय, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, सर्वश्री बाबूलाल गौर, जितू पटवारी, सदस्यगण द्वारा होली एवं रंगपंचमी पर्व की बधाई दी गई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 एवं17) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 176 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 200 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

श्री दिनेश राय, सदस्य सिवनी जिलान्तर्गत खाद्यान्न से वंचित हितग्राही संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 6111) पर जबाब से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये एवं अध्यक्ष महोदय की समझाइश पर वापस अपने आसन पर गए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की भोपाल के महाराणा प्रताप नगर जोन-2 में सरगम टाकीज के आसपास अतिक्रमण होने,

(2) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य की देवास बायपास सड़क मार्ग को फोरलेन किये जाने,

(3) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र बिजावर के गांवों में पुलिस गश्त कर लुटेरों पर कर्रवाई करने,

(4) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के पिछोर अंतर्गत खनिया धाना नगर पंचायत में डिवाइडर निर्माण करने,

(5) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा में पोस्टमार्टम रूम का नवीन भवन निर्माण तथा फ्रीजर व्यवस्था करने,

(6) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य की विदिशा जिले के ग्राम पंचायत घटुआ स्थित कंदराखेड़ी नदी पर पुल एवं रोड का निर्माण करने,

(7) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल, सदस्य की देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टैण्ड क्षेत्र में धर्म स्थल के पास से शराब दुकान हटाने,

(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की जिला श्योपुर के विजयपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने,

(9) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की दमोह जिले के ग्रामों में विद्युत कटौती की जाने से समस्याएं होने तथा

(10) श्री रजनीश सिंह, सदस्य की केवलारी व पलारी में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

5. शून्यकाल में उल्लेख

(1) सिहावल विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत प्रदाय बंद करने विषयक

श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि सिहावल विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामों की विद्युत विच्छेद कर दी गई है. जबकि अभी कई कक्षाओं की परीक्षायें स्कूलों में संचालित हैं. इससे छात्रों में आक्रोश है. खेती किसानी का गेहूँ उत्पादन भी अंतिम दौर में चल रहा है और किसान परेशान हैं. इसलिए इस पर स्थगन और ध्यानाकर्षण भी दिया है, चर्चा कराई जाये.

(2) मालवा क्षेत्र की मण्डियों द्वारा किसानों को चेक देने से भुगतान में विलम्ब होने विषयक

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मालवा क्षेत्र में गेहूँ की बम्पर आवक हुई है और मंडियों में किसानों को समय पर पैसा देना चाहिए, परन्तु आरटीजीएस होते हुए भी चेक दिये जा रहे हैं, इस कारण बैंकों से 15 से 20 दिन तक किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है.

(3) ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों को राशन पर्ची न मिलने विषयक

श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि बासौदा विधानसभा क्षेत्र के ग्यारसपुर में 1200 पात्र व्यक्ति पिछले आठ महीने से राशन पर्ची के लिये परेशान हैं. एनआईसी के अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देश पर हमने पर्ची जनरेट करना बंद कर रखा है, इससे लोगों में रोष व्याप्त है.

(4) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा बी.एस.सी. प्रथम सेम की छात्राओं को एटिकेटी प्रदान करने विषयक

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के अंतर्गत मेरी विधानसभा क्षेत्र मंदसौर के कन्या महाविद्यालय में बीएससी प्रथम सेम की 131 छात्राओं में से 127 छात्राओं को एटिकेटी प्रदत्त कर दी गई है और जीरो नंबर से लेकर के 11 नंबर कुल अधिकांश छात्राओं को प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण छात्राओं में असंतोष है, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है. विश्वविद्यालय द्वारा सिर्फ यह कह देना कि एटिकेटी के लिए आगामी वर्ष में वे पूरक परीक्षा दे देंगी, कतई न्यायोचित नही हैं.

(5) बालाघाट विकासखंड के टवेझरी मंझारा रोड पर निर्मित नाले का पुनर्निर्माण करने विषयक

श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत टवेझरी मंझारा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई रोड है जिसमें सड़क के मध्य नाला बनाया गया है, पानी आने पर वह नाला हमेशा भर जाता है. उसमें तीन मौतें हो चुकी हैं. उस नाले का पुनर्निर्माण कराया जाये.

(6) गोविन्दपुरा विधान सभा क्षेत्र में शासकीय कन्या महाविद्यालय खोलने विषयक

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि विधानसभा क्षेत्र गोविन्दपुरा में एक भी शासकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है. 6 लाख की आबादी के बाद भी गरीब छात्राओं को पढ़ने के लिए निजी महाविद्यालयों में जाना पड़ता है. वहां एक शासकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाये.

(7) विधानसभा क्षेत्र पवई के रैपुरा में माध्यमिक शाला में ताला डालने विषयक

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि विधानसभा क्षेत्र पवई के रैपुरा से लगे हुए एक माध्यमिक शाला में जो 15 वर्षों से संचालित था जिसमें 100 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं. उसमें एक व्यक्ति ने ताला डाल दिया है कि यह स्कूल मेरा है और पिछले 15 दिन से स्कूल बंद है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं. इससे जनता में असंतोष है. शिक्षा मंत्री महोदय इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें.

(8) रीवा जिले के मऊगंज विधान सभा क्षेत्र में नोटबंदी के कारण लाईन में खड़े व्यक्ति की मृत्यु होने विषयक

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि नोटबंदी से आज भी सभी बैंकों और ए.टी.एम. मशीनों पर कतारें लगी हुई हैं. इसी तारतम्य में रीवा जिले के मऊगंज विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यांचल बैंक, शाहपुर में नोटबंदी से परेशान एक किसान की दोपहर लाइन में लगे रहने से गिरकर मौत हो गई. इस घटना में मौत के जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो तथा मृतक को मुआवजा दिया जाए. सरकार की इस नीति से क्षेत्र में व्यापक असंतोष है.

(9) उज्जैन की श्री सिंथेटिक मिल और इंदौर टैक्सटाइल मिल के अधिकारियों/कर्मचारियों के बकाए का भुगतान करने विषयक

डॉ. मोहन यादव, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि उज्जैन में श्री सिंथेटिक मिल और इंदौर टैक्सटाइल मिल में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों के बकाया भुगतान का मसला लगभग 10 साल से पेंडिंग है. श्रम मंत्री से निवेदन है कि वृद्ध बकाएदारों को पैसों की आवश्यकता है, उनका बकाया भुगतान दिलाने का कष्ट करें. शासकीय योजनाओं का भी उनको लाभ दिलाया जाए.

(10) सिवनी में हिन्दू वर्ष के शुभारंभ पर जुलूस की अनुमति देने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि 29 मार्च को हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है जिसमें हमारे क्षेत्र सिवनी में प्रतिवर्ष एक विशाल जुलूस निकलता है. इसकी अनुमति के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों ने मांग की है किंतु अनुमति शर्तों के आधार पर दी जा रही है कि फोर व्हीलर रहेंगे तो टू व्हीलर नहीं रहेंगे. मेरा आग्रह है कि यह एक धार्मिक कार्यक्रम है. इसमें हमारे तमाम हिंदू समाज के लोग जुड़े हुए हैं, यह एक परंपरा है. अत: इसमें कोई अनुमति की आवश्यकता न हो बल्कि प्रशासन की उसमें सहभागिता हो और वह मदद करे.

(11) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत छूटे गांवों का पुन: सर्वे कराने विषयक

श्री कैलाश चावला, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सर्वे में छूटे अनेक गांवों का पुन: सर्वे कराके उनको जोड़ा जाए ताकि हितग्राहियों को लाभ मिल सके.

(12) भांडेर विधान सभा क्षेत्र के उनाव में शमशान घाट जाने हेतु फुटपाथ बनाए जाने विषयक

श्री घनश्याम पिरौनियां, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि भांडेर विधान सभा क्षेत्र के उनाव में मेले लगते हैं, मैंने कलेक्टर महोदय को लिखकर दिया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वहाँ पर शमशान घाट में जब लोग अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे तो सड़क में पानी भरने के कारण चलना मुश्किल होता है. अत: पैदल निकलने के लिए वहाँ फुटपाथ बनाया जाए.

(13) सागर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पुन: सर्वे कराए जाने विषयक

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि सागर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो पट्टों का सर्वे हुआ है, वह प्रॉपर नहीं हो पाया है, उस सर्वे को पुन: कराने के आदेश यहाँ से जारी हो जाएँ ताकि मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा के अनुरूप सारे लोगों को पट्टे प्राप्त हो जाएँ.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16, तथा

(ख) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखे.

(2) श्री अंतरसिंह आर्य, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2015 पटल पर रखे.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

7. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, शैलेन्द्र पटेल, श्री के.पी सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण एवं श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में आतंकी गतिविधियां घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने छतरपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार द्वारा दुर्भावनावश की जा रही कार्यवाही की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(2) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(3) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(4) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(5) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(6) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा (जिला-देवास)
(7) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(8) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(9) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड जिले के लहार)
(10) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(11) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(13) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(14) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(15) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(16) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(17) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(18) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(19) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(20) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(21) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(22) श्री रामप्यारे कुलस्ते (जिला-मण्डला)
(23) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(24) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(25) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(26) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(27) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(28) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(29) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(30) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (जिला-गुना)
(31) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(32) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(33) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(34) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)

(35) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(36) श्रीमती प्रमिला सिंह (जिला-शहडोल)
(37) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(38) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
(39) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(40) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(41) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)

9. शासकीय वक्तव्य

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने राज्य वन सेवा में चतुर्थ स्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था दोपहर 1.00 बजे से सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

11. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमशः)

(10) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 12	ऊर्जा के लिए सोलह हजार दो सौ बत्तीस करोड़, नब्बे लाख, इक्तीस हजार रुपये तथा
अनुदान संख्या – 68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए एक सौ उनसठ करोड़, छियालीस लाख, छियालीस हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री जितू पटवारी

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री हेमन्त खण्डेलवाल
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री दुर्गालाल विजय

सभापति महोदय (श्री के.पी. सिंह) पीठासीन हुए.

(5) श्रीमती शीला त्यागी
(6) श्री कमलेश्वर पटेल
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान
(8) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार
(9) श्रीमती ऊषा चौधरी
(10) श्री शैलेन्द्र पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(11) श्रीमती ममता मीना

(12) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(13) श्री दिनेश राय
(14) श्री प्रदीप अग्रवाल
(15) श्री वैलसिंह भूरिया
(16) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(17) श्री वीरसिंह पंवार
(18) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(19) श्री रजनीश सिंह
(20) श्री रामनिवास रावत

श्री पारस चन्द्र जैन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(11) श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 14	पशुपालन के लिए नौ सौ सड़सठ करोड़, आठ लाख, छियासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 16	मछली पालन के लिए सतासी करोड़, अड़सठ लाख, इकतालीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 56	ग्रामोद्योग के लिए दो सौ उनचास करोड़, छब्बीस लाख, सैंतीस हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

सभापति महोदया (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) पीठासीन हुई.

(2) श्री बहादुर सिंह चौहान

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री शैलेन्द्र पटेल
(4) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(5) श्री दुर्गालाल विजय
(6) श्रीमती शीला त्यागी
(7) श्री वैलसिंह भूरिया
(8) श्री कमलेश्वर पटेल
(9) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(10) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(11) डॉ. मोहन यादव
(12) श्री हरदीप सिंह डंग

श्री अंतर सिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

12. अध्यक्षीय घोषणा
महिला एवं बाल विकास विभाग की मांगे बाद में लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद 6 (3) में उल्लेखित विभागीय मांग की प्रभारी मंत्री विदेश प्रवास पर हैं. उन्हें आज वापस आना था किन्तु कतिपय कारण से यात्रा विलंबित होने से वे रात्रि में ही भोपाल पहुंच सकेंगी. मेरा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि विभागीय मांगें जब हों तो मंत्रीगण उपस्थित रहें. भविष्य में यह स्थिति न आए आप उसको देख लें. अत: महिला एवं बाल विकास विभाग की मांगें सदन की सहमति से बाद में ली जाएंगी.

13. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:)

(12) डॉ. नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन, जनसंपर्क, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 23	जल संसाधन के लिए सात हजार तीन सौ छियासठ करोड़, उनतीस लाख, इकहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल के लिए अठासी करोड, बारह लाख, तिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 32	जनसम्पर्क के लिए तीन सौ करोड़ रुपये,
अनुदान संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए एक हजार सोलह करोड़, छत्तीस लाख, सैंतालीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए तीस करोड़, एक हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

14. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि विचाराधीन मांग पर दोनों पक्षों के प्रथम वक्ताओं के भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री जितू पटवारी

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री दुर्गालाल विजय (भाषण पूर्ण)
(चर्चा जारी)

अपराह्न 5.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017 (30 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 20 मार्च, 2017